xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

अध्याय - पंचम

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

कृषक आन्दोलन

ऐतिहासिक तथ्य :

दुद्धी क्षेत्र में भू-स्वामित्व के निर्धारण का ऐतिहासिक आधार एक समुदाय का दूसरे समुदाय पर विजय था । उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्व तक इस क्षेत्र पर क्षेत्रीय कबीलों यथा -- खरवार, गौंड़ आदि जनजातियों का अधिकार थोड़े-थोड़े समय के लिए रहता था । ऐतिहासिक तथ्यों के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि बारहवीं शताब्दी के बाद से यह क्षेत्र निष्कासित राजपूतों चन्देलों और खरवारों का शरणास्थल रहा है । चन्देलों के बाद भूइया जन-जाति और उसके बाद खरवारी का आधिपत्य था । अठारहवीं शताब्दी में ईस्टइण्डिया कम्पनी इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था और इसे स्थाई बन्दोबस्त की सीमा में सम्मिलित कर लिया गया था । जब ब्रिटिश शासकों ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार पुस्थापित किया तो यह देखा गया कि इसका सर्वेक्षण कभी नहीं किया गया है और इस क्षेत्र का सही-सही नाप-जोख भी उपलब्ध नहीं था । कैप्टन ब्राघटन ने 1839-41 के मध्य राजस्व निर्धारण के लिए कैमूर पर्वत श्रेणी के उत्तरी क्षेत्र का सीमांकन करने हेतु सर्वेक्षण किया था । इस सबंध में 1878 में [1] मिस्टर स्टाकर ने विशिष्ट विवरण दिया है । उनका कथन था कि क्षेत्र के कृषक प्रति वर्ष नयी भूमि को कृषि में सम्मिलित कर लेते हैं और पुराने जोत को बंजर के रूप में छोड़ देते हैं । जिससे रजस्व वसूलने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । निर्धारित राजस्व और भुगतान किये जाने वाले राजस्व की सीमाओं में तारतम्यता स्थापित कर पाना

कठिन कार्य है । भूमि का हस्तान्तरण पट्टा और हकदारी के संबंध में अभिलेखों उपलब्ध नहीं है और उनमें अत्यधिक अनियमितता पायी गयी है । कुछ मृतक लोगों के नाम भी भू-अभिलेखों में यथावत है । हकदारी के संबंध में रखे गये विवरण विश्वास योग्य नहीं है ।[2]

1864 ई0 में एक अधिनियम के अन्तर्गत डुद्धी को अनियमित परगना घोषित किया गया और भू-स्वामित्व के अधिकार को सुनिश्चित करने तथा सरकारी राजस्व को वसूलने के लिए विशेष नियम बनाये गये । 1868 में तत्कालीन जिला कलेक्टर मिस्टर पोलक ने 61 गावों के पुनर्सर्वेक्षण का आदेश पारित किया और 20 से 30 वर्षीय हकदारी पट्टे के संबंध में नये कानून जारी किये गये जंगल को सुरक्षित व सरकारी क्षेत्र में लाने का प्रयास किया गया । परंतु बन्दोबस्त की स्थाई अथवा अस्थाई प्रकृति के संबंध में निर्णय नहीं लिया गया ।[3]

1870-71 में लेफ्टिनेण्ट गवर्नर सर विलियम वाटकर बन्दोबस्त प्रारम्भ किया । प्रथम भाग में ऐसे गावों को रखा गया जो बारह वर्षों से अधिक समय से अच्छे सुपरदारों के अधीन थे । द्वितीय श्रेणी में उन गावों को रखा गया जिनके सुपरदार अच्छे नहीं थे । तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत नये गांव और चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत पुराने गांव के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाये जाने वाले नये गांव रखे गये । दिसम्बर 1871 में निर्गमित 'ग्रेट चार्टर आफ डुद्धी' के अन्तर्गत बन्दोबस्त का कार्य प्रारम्भ किया गया । गांवों को 25 प्रभागों में बांटा गया और सर्वेक्षण का कार्य अधूरा ही रहा । मानक कर दर मूल्यांकन डुद्धी क्षेत्र में प्रचलित कृषकों के हल की संख्या के आधार पर किया गया ।[4]

क्षेत्र में सर्वेक्षण करने वालों को घने जंगलों और गर्मी तथा पानी के कारण विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा । सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक गांवों की सीमा सुनिश्चित करना, सुपरदारों को सनद वितरित करना और कृषकों को पट्टा वितरित करना था । क्षेत्र में दो प्रमुख किरायेदारी स्वरूप थे

प्रथम ऐसे किरायेदार जो भूमि पर लगातार तीन वर्षों तक अपना अधिकार रखते थे और उनका यह अधिकार हस्तान्तरणीय नहीं था । द्वितीय ऐच्छिक किराये - दार जो विद्यार्थियों की सीर भूमि को जोतते थे वे मुख्यत: निर्धन कृषक मजदूर होते थे । 19 अगस्त 1879 को राजस्व की एवं विभाग ने यह अभिलेखबद्ध किया कि सर्वेक्षण का कार्य उचित निर्देशन के अभाव में ठीक नहीं हो पाया ।[5]

भूमि हकदारी आन्दोलन :

आपर्टसगंज और दुद्धी तहसील में भू-स्वामित्व के संदर्भ में अभिलेखों की अनुपलब्धता तथा अनियमित अभिलेखों के कारण कृषकों के आपसी तथा कृषकों एवं सरकार के मध्य विवाद की स्थितियां निरन्तर बनी रही । जंगल विभाग द्वारा सिमांकित भूमि के कारण भी हदबन्दी की नयी-नयी समस्याएं उत्पन्न होती रही है । परिणामत: निर्धन आदिवासियों और कृषकों में असंतोष की भावनाएं बलवती होती रही है । जो बनवासी सेवाश्रम से संयुक्त होकर संगठ-नात्मक विरोध के रूप में प्रतिफलित हुई है । बनवासी सेवाश्रम के सेक्रेटरी श्री-प्रेमभाई ने भूमि के अभिलेखों और हकदारी निर्धारण के संदर्भ में भूमि हकदारी मोर्चा का गठन किया था ।

1982 ई0 में वनवासी सेवाश्रम द्वारा इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी जिसपर न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश भी पारित किया गया था, परन्तु अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं सुनाया गया है । मार्च 1983 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महेश्वर प्रसाद की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति की नियुक्ति की गयी थी जो बोर्ड आफ रेवेन्यु के अध्यक्ष हुये थे । समिति भू-अभिलेखों के अभाव से होने वाली विभिन्न समस्याओं के जांच-पड़ताल हेतु गठित की गयी थी । समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 1983 में प्रस्तुत करते हुए इस समस्या के निवारण हेतु एक विशेष एजेन्सी के गठन का सुझाव रखा था । 1985 तक इस संदर्भ में कोई कार्य नहीं किया गया । 1986 में 7 मई को

वनवासी सेवाश्रम द्वारा 400 गांवों के प्रतिनिधियों की एक सभा बुलायी गयी । सभा ने बैठक के पश्चात् सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट दुद्धी के माध्यम से राज सरकार को एक नोटिस प्रेषित किया कि यदि एक महीने के अन्दर भूमि अभिलेख संबंधी कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जाती तो वे राज सरकार से पूर्णतः असहयोग करते हुए आन्दोलन करेंगे और इस शान्तिपूर्ण प्रतिरोध में चक्का जाम भी किया जायगा। साथ ही साथ दुद्धी बन्द का आयोजन किया जायगा । 6 जून 1986 को मोर्चा के आयोजकों ने 90 प्रतिनिधियों के साथ उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री को पत्रक दिया । जिसमें क्षेत्रीय लोगों के कुछ प्रमुख मांगों के साथ-साथ एक महीने का और समय दिया गया । पत्रक की प्रतिलिपि मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव, उत्तर-प्रदेश, राजस्व सचिव उत्तर प्रदेश और जिला जज मिर्जापुर को भी प्रेषित की गयी ।

8 जुलाई 1986 को मोर्चा ने उपर्युक्त चारो अधिकारियों को कार्यवाही के संदर्भ में टेलीग्राम भेजा । 30 जुलाई 1986 को एक अन्य टेलीग्राम भेजा गया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि यदि 6 अगस्त के पहले निवेदित कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया तो वे 8 अगस्त से सड़कों पर अवरोध उत्पन्न करेंगे तथा नागरिक अवज्ञा दुद्धी रेणुकोट बन्द और असहयोग आन्दोलन करेंगे । अन्ततः 5 अगस्त 1986 को राज्य सरकार ने महेश्वर प्रसार समिति द्वारा पैरा 125 के अन्तर्गत प्रस्तावित कर्मचारियों की सूची को जारी किया इस संदर्भ में 7 अगस्त को मोर्चा के सदस्यों को अवगत कराया गया और प्रतिरोध वापस लेने का अनुरोध किया । परिणामतः 8 अगस्त को तीन गावों की बैठक हुई और 2 अक्टूबर 1986 से यदि कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ तो और तीव्र प्रतिरोध किया जायगा । यह विचार पुस्थापित किया गया ।

भूमि हकदारी आन्दोलन की 8 अगस्त 1986 की बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि आदिवासियों और निर्धन वनवासियों को भूमि पर उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु 2 अक्टूबर 1986 से गहन प्रतिरोध प्रारम्भ किया जायगा ।

2 अक्टूबर 1986 को प्रारम्भ किये गये आन्दोलन में मोर्चा के कई कर्ता गिरफ्तार किये गये और एस्डियम के आदेश के अन्तर्गत कई कार्यकर्त्ताओं को पिटा गया। 17 अक्टूबर 1986 को भूमि हकदारी मोर्चा ने एक पत्रक निर्गमित किया और सरकार से यह अनुरोध किया गया कि उच्चाधिकारियों की एक समिति यथा-शीघ्र क्षेत्र में भेजी जाय। महेश्वर प्रसाद समिति के निर्देशों तथा उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जाय।

दुद्धी क्षेत्र में आदिवासी समुदाय में लड़ाई-झगड़े का प्रमुख कारण सम्पत्ति पर अधिकार रहा है। आदिवासी झूम खेती करते थे और उस भूमि पर अपना अधिकार समझते थे जिसको वे जंगल साफ करके कृषि के लिए तैयार करते थे। इस संदर्भ में उनके भू-स्वामित्व के अधिकार अभिलेखबद्ध नहीं थे। दुद्धी तहसील के 299 गांव रार्बट्सगंज तहसील के 134 गांव और लगभग 23 हजार एकड़ भूमि झगड़े में थी। 1952 में जमींदारी उन्मूलन तक न तो इस क्षेत्र का यथोचित सर्वेक्षण किया गया था और न ही बन्दोबस्त किया गया था। 1929 के भारतीय वन अधिनियम के खण्ड 4 के अन्तर्गत किये गये प्राविधानों से भी आदिवासी कृषकों को भूमि सीमा के संदर्भ में विविध विवादों का सामना करना पड़ा। ग्रामसभा और सामान्य चराई की भूमि के स्पष्टीकरण न होने के फलस्वरूप अधिकांश भूमि से रक्षित वन सीमा के अन्तर्गत कर ली गयी है। जंगल विभाग में झूम खेती के लिए उपयोग के लायी जाने वाली भूमि को राजस्व भूमि घोषित कर दिया था और जंगल की कटाई पर रोक लगा दी थी। परिणामस्वरूप आदिवासियों द्वारा भूमि पर स्थापित परम्परागत अधिकार की दशाएं परिवर्तित कर दी गयी। भूमिहीन कृषकों का 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वही भूमि वितरित किया गया था। इस प्रकार एक ही भूमि के 3 दावेदार बन गये। जंगल विभाग के अतिरिक्त वास्तविक भूमि पर कृषि करने वाले कृषक, मुदाने के माध्यम से प्रस्थापित कृषक और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्थापित किए गये।

1960 में रिहन्द बांध के निर्माण के समय आदिवासी ग्रामीणों को विस्थापित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी । सरकार ने हिन्डालकों के मालिक बीरला को म्योरपुर हवाई पट्टी स्थान्तरित कर दिया था । उपर्युक्त प्रक्रियाओं में 50 हजार ग्रामीणों को विस्थापित होना पड़ा था । इन विस्थापित को इसे 10 बीघे भूमि दी गयी । सोन नदी पर बनने वाले दूसरे बांध से लगभग 150 गावों के आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ा । इन लोगों को वनवासी सेवाश्रम (परिशिष्ट-1) द्वारा संगठित किया गया और प्रेम भाई के नेतृत्व में 2-3 अक्टूबर 1986 को आन्दोलन प्रारम्भ किया गया । एक अन्य स्वैच्छिक संगठन सर्वसेवा संघ द्वारा भूमि हकदारी के संदर्भ में नये आन्दोलन चलाये जा रहे हैं ।

सारांश :

दुद्धी क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार के अवसर की कमी, कृषि उत्पादकता में कमी और भूस्वामित्व की अनियमित दशाएं आदिवासियों में आन्दोलन व प्रतिरोध की प्रवृत्ति को जन्म देती है । परंतु जागरूकता के अभाव में कृषक संगठित होकर पूर्ण विरोध में सक्षम नहीं हुए हैं । सरकारी संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य असंतोषजनक रहे हैं और अभीतक भूमि सर्वेक्षण व स्वामित्व का नियमन नहीं हो पाया है ।

REFERENCES :

1. C.F. Amery, A British Officer from Brandis and Smythies, Reports on Proceedings of the Forest Conference, 1875 quoted by Ramchandra Gupta, Forestry in British and Post-British India, Economic and Political Weekly, XVI71(44) Oct. 29, 1983.

2. W. Grierson Jackson and F.H. Fisher, 1883. Statistical Discriptive Historical Accounts of North Western Province, Vol. XIV, Part-III Mirzapur, Allahabad, pp. 19-93.

3. Conybeare's Notes on Pargana Dudhdhi (1879), p. 32.

4. Ibid.p. 32.

5. Ibid. p. 32.

*****